

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

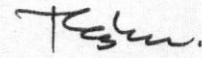
क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(जी-269) अलेसे-I/227

दिनांक:- 18/03/21

कार्यालय आदेश

श्री घासीलाल रैगर, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, हाल लेखाधिकारी कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर एवं श्री भूरा राम नारोलिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर द्वारा क्रमशः दिनांक 07.02.1984 से 08.02.1991 तक एवं दिनांक 21.03.1983 से 08.02.1991 तक भारत सरकार के अधीन दूरसंचार विभाग में संचार कार्यालय सहायक के पद पर की गई सेवाएं वर्तमान सेवा में विभागीय आदेश क्रमांक 12626 दिनांक 22.03.1993 एवं आदेश क्रमांक 9719 दिनांक 02.03.1993 के द्वारा जोड़ी गयी थी। उक्त दोनों कार्मिकों की वर्तमान सेवा एवं भारत सरकार के अधीन दूरसंचार विभाग में संचार कार्यालय सहायक के पद पर की गई सेवाओं के मध्य दिनांक 09.02.1991 व 10.02.1991 (राजपत्रित अवकाश) का 02 दिवसीय सेवा व्यवधान को राज. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 27 एवं उसके नीचे अंकित राजकीय निर्णय के अनुसार माफ (CONDONE) किया जाता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई डी संख्या 252100075 दिनांक 04.03.2021 व अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।



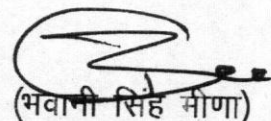
(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(जी-269) अलेसे-I/227

दिनांक:- 18/03/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
2. श्री घासीलाल रैगर, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, हाल लेखाधिकारी कार्यालय-स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
3. श्री भूरा राम नारोलिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर।
4. महाप्रबंधक दूरसंचार जिला जयपुर (भारत सरकार)।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- ✓ 6. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. रक्षित निजी पत्रावली।


(भवानी सिंह)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)